

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....
03/सह०ब०योजना (आवंटन)-02/2026

प्रेषक,

(मो० अब्दुल रब खां)
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रयोजित योजना प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स का) कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत केन्द्रांश राशि रु०-2,14,00,000/- (दो करोड़ चौदह लाख) एवं राज्यांश राशि रु० 1,42,66,667/- (एक करोड़ बयालीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) अर्थात् कुल राशि रु० 3,56,66,667/- (तीन करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-187, दिनांक-22.06.2026 के आलोक में मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता मांग संख्या-09, उपशीर्ष-0201-प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड-09-2425001080201, PFMS Code-4008, विस्तृत शीर्ष-52-मशीनें एवं उपस्कर, विषय शीर्ष-01-मशीनें एवं उपस्कर कार्यालय मद में रु० 3,56,66,667/- (तीन करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) रुपये का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं०-236/वि०, दिनांक-09.03.2026 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या-02) अधिनियम, 2026 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-314/वि०, दिनांक-01.04.2026 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 में निहित शर्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-
(मो० अब्दुल रब खां)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-08(आ)/पटना, दिनांक-24/06/26
प्रतिलिपि:- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, स०स०, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना (दो मूल प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/06/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।
वि०